

कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

क्रमांक : शिबि-माध/मा-द/मुण0प्र0/मुणवता/81188/बी-1/2020-21/292

दिनांक : 9.03.22

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले।

विषय :- अर्द्धवार्षिक परीक्षा व परख परिणाम की शालादर्पण पर प्रविष्टि करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शालादर्पण से प्राप्त सूचना के संबंध में लेख है कि शालादर्पण मॉड्यूल पर विद्यार्थियों के प्रथम परख, द्वितीय परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि के लिए एक पृथक मॉड्यूल में अंक प्रविष्टि हेतु दिनांक 15.12.21 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था कि अधीनस्थ विद्यालयों से 22.12.21 तक शालादर्पण मॉड्यूल में परीक्षा परिणाम अपडेट करेंगे। अत्यन्त खेद का विषय है कि शालादर्पण से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आदिनांक तक भी शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की अंक प्रविष्टि नहीं की गई है।

निर्देशित किया जाता है कि प्रभावी प्रबोधन करते हुए दिनांक 15.03.2022 तक अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों के अर्द्धवार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांकों की प्रविष्टि शालादर्पण मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात मॉड्यूल लॉक कर दिया जायेगा।

उक्त दिनांक पश्चात यदि कोई विद्यार्थी अंक प्रविष्टि से वंचित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

सत्यमेव जयते

(काना राम)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिलों में उक्त कार्य का प्रभावी प्रबोधन कर निर्धारित दिनांक तक अंक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
5. शालादर्पण, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में सीडीईओ लॉगइन शालादर्पण मॉड्यूल में अंक प्रविष्टि की रिपोर्ट लगवाने का श्रम करें ताकि प्रभावी प्रबोधन किया जा सके।
6. सहायक निदेशक, शालादर्पण, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान